

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:-

संख्या-3(स0)/उ0स्था0(विविध)32/12-...../श्री राघवेन्द्र नारायण, उप उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अपने निजी खर्च पर कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के 6(VII) के आलोक में दिनांक 25-05-2018 से दिनांक 10-06-2018 तक कुल 17(सत्रह) दिनों के चिकित्सीय ईलाज हेतु विदेश यात्रा (सिंगापुर) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री उद्योग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अनिल कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

3(स0)/उ0स्था0(विविध)32/12

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, इ-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांगार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 1036

पटना, दिनांक:- 13-03-18

प्रतिलिपि:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री उद्योग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री राघवेन्द्र नारायण, उप उद्योग निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/18

सरकार के अवर सचिव

राकेश/09-03-18